

18/11/20

आदेश

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थनी के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण ईकतरफा। वकील प्रार्थनी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थनी का कथन है कि प्रार्थी मौजा मंशोणियों की बस्ती पटवार क्षेत्र जसाई तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 348/109 रकबा 19.04 बीघा भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील प्रार्थनी को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थनी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थनी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा मंशोणियों की बस्ती पटवार क्षेत्र जसाई तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 348/109 रकबा 19.04 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त कार्रवाई प्रार्थनी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थनी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपलब्ध वकीलरी  
वकील

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस

रीडर/2020/

प्रार्थिनी

2811

बनाम

दिनांक - 22/12/20

अप्रार्थीगण

1 पन्नीदेवी पत्नी भेराराम जाति जाट  
निवासी रेल्वे स्टेशन, जसाई तहसील व  
जिला बाड़मेर।

1 कूम्याराम पुत्र भंवराराम वगैराह जाति  
मेघवाल निवासी नई जसाई तहसील व  
जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 41/2020

दिनांक-

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मंशोणियों की बस्ती पटवार क्षेत्र जसाई तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 348/109 रकबा 19.04 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थिनी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थिनी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

बाड़मेर

दिनांक- 18/12/20  
22/12/20

क्रमांक :- रीडर/2020/ 2810 - 2812  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी जसाई तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. पन्नीदेवी पत्नी भेराराम जाति जाट निवासी रेल्वे स्टेशन, जसाई तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी कूम्याराम पुत्र भंवराराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी नई जसाई तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर